Federal Bank

<u>सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें</u>

"सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें" (एमआईटीसी) को पूर्ण रूप से समझने के लिए फेडरल बैंक लिमिटेड (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम एवं शर्तों (टीएंडसी) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिन्हें आपने स्वीकार/अभिस्वीकृत किया है। एमआईटीसी में समय-समय पर बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों की सूचना आपको बैंक में पंजीकृत आपके ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर भेजे गए ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। यदि सूचना दिए जाने की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर आप क्रेडिट कार्ड वापस नहीं करते हैं, तो इसे उक्त परिवर्तनों के प्रति आपकी स्वीकृति/सहमति माना जाएगा। एमआईटीसी के नवीनतम संस्करण तथा अन्य संबंधित विवरणों के लिए आप www.federalbank.co.in पर भी जा सकते हैं।

यह माना और स्वीकार किया जाता है कि क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना और/या 'सबमिट', 'मैं सहमत हूँ' या किसी अन्य समान टैब पर क्लिक करने का अर्थ आपके द्वारा इन एमआईटीसी की स्वीकृति होगा।

इस एमआईटीसी में, 'आप', 'कार्ड सदस्य', 'कार्ड धारक' का संदर्भ उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसके नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है।

<u>शुल्क/करों की अनुसूची</u>

शुल्क/ कर	**क्रेडिट कार्ड वेरिएंट**			
	सिग्नेट	**इम्पेरियो**	**सेलेस्टा**	**वेव कार्ड**
ब्याज मुक्त अवधि	48 दिनों तक	48 दिनों तक	48 दिनों तक	48 दिनों तक
न्यूनतम पुनर्भुगतान राशि/ न्यूनतम देय राशि	5% या न्यूनतम ₹100/-	5% या न्यूनतम ₹100/-	5% या न्यूनतम ₹100/-	5% या न्यूनतम ₹100/-
कैश एडवांस फीस	10%	20%	25%	शून्य
जॉइनिंग फीस *उपरोक्त शर्त 03 अप्रैल 2023 से शामिल किए गए ग्राहकों के लिए लागू नहीं है।	₹750/-*	₹1500/-*	₹3000/-*	शून्य (वर्चुअल कार्ड के लिए) -₹199/- (यदि भौतिक कार्ड का विकल्प चुना गया है)
वार्षिक मेंबरशिप फीस	₹750/-*	₹1500/-*	₹3000/-*	₹199/-

Federal Bank

*उपरोक्त शर्त 03 अप्रैल 2023 से शामिल किए गए ग्राहकों के लिए लागू नहीं है।				
जॉइनिंग फीस की छूट के लिए खर्च की शर्त उपरोक्त शर्त 03 अप्रैल 2023 से शामिल किए गए ग्राहकों के लिए लागू नहीं है क्योंकि कोई जॉइनिंग फीस नहीं ली जाती है।	पहले 3 महीनों के भीतर ₹10,000/- से अधिक खर्च करें और पहले वर्ष के लिए ₹750/- की जॉइनिंग फीस की छूट प्राप्त करें।	पहले 3 महीनों के भीतर ₹20,000/- से अधिक खर्च करें और पहले वर्ष के लिए ₹ 1500/- की जॉइनिंग फीस की छूट प्राप्त करें।	पहले 3 महीनों के भीतर ₹30,000/- से अधिक खर्च करें और पहले वर्ष के लिए ₹3000/- की जॉइनिंग फीस की छूट प्राप्त करें।	शून्य
वार्षिक सदस्यता शुल्क की छूट के लिए खर्च की शर्त। (कैश विड्रॉल लेनदेन इसमें शामिल नहीं हैं)। उपरोक्त शर्त 03 अप्रैल 2023 से शामिल किए गए ग्राहकों के लिए लागू नहीं है, क्योंकि कोई एएमसी शुल्क नहीं लिया जाता है	वर्तमान वर्ष में ₹75,000/- खर्च करें और अगले वर्ष की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर छूट प्राप्त करें।	वर्तमान वर्ष में ₹1,50,000/- खर्च करें और अगले वर्ष की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर छूट प्राप्त करें।	वर्तमान वर्ष में ₹3,00,000/- खर्च करें और अगले वर्ष की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर छूट प्राप्त करें।	शून्य
अतिरिक्त / एड-ऑन कार्ड फीस	अधिकतम 4 कार्ड (₹100/-प्रति कार्ड)	अधिकतम 4 कार्ड (₹100/- प्रति कार्ड)	अधिकतम 4 कार्ड (₹100/- प्रति कार्ड)	शून्य
कैश एडवांस फीस	निकाली गई राशि का 2.5% या ₹ 500 जो भी अधिक हो	निकाली गई राशि का 2.5% या ₹ 500 जो भी अधिक हो	निकाली गई राशि का 2.5% या ₹ 500 जो भी अधिक हो	शून्य
कैश भुगतान के लिए फीस	₹100/-	₹100/-	₹100/-	₹100/-

Federal Bank

विदेशी करेंसी मार्कअप फीस	**3.5%**	**3.5%**	**2%**	**3.5%**
डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन फीस	**3.5%**	**3.5%**	**2%**	**3.5%**
	नियम और शर्तें: (1) डीसीसी केवल तभी लागू होगा जब अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन मर्चेंट आउटलेट लोकेशन, एटीएम या शाखा का देश भारत के बाहर हो, चाहे लेनदेन होने के समय कार्ड धारक की लोकेशन कहीं भी हो। (2) कार्ड धारक के पास मर्चेंट/एटीएम/शाखा द्वारा लेनदेन प्रोसेस करने से पहले, डीसीसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा और कार्ड धारक डीसीसी विकल्प पर सक्रिय रूप से चुनाव करेगा। (3) कार्ड धारक प्रकटीकरण जानकारी की स्वीकृति की पुष्टि करने के बाद डीसीसी लेनदेन के लिए सहमति प्रदान करेगा, जिसमें (i) मर्चेंट की लोकल करेंसी और करेंसी कोड में दिखाए गए सामान या सेवाओं की कीमत (टैक्स सहित) (ii) एक्सचेंज रेट/मार्क-अप (iii) डीसीसी करेंसी में कुल लेनदेन राशि (iv) कार्ड धारक को प्रकट की गई प्रस्तावित डीसीसी लेनदेन राशि का करेंसी सिंबल कोड शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। (4) डीसीसी लेनदेन पूरा होने पर, मर्चेंट/ एटीएम/ शाखा द्वारा, जैसा भी मामला हो, कार्ड धारक को एक लेनदेन रसीद के साथ जारी किया जाएगा, जिसमें लेनदेन की करेंसी, लेनदेन की राशि, लेनदेन शुल्क आदि का विवरण होगा।			

<u>अन्य शुल्क (सभी कार्डों पर सामान्य)</u>

रिवॉल्विंग क्रेडिट पर ब्याज (एपीआर-वार्षिक प्रतिशत दर)

फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड (सिग्नेट, इम्पेरियो, सेलेस्टा और वेव)	
पिछली तिमाही के लिए औसत मासिक शेष	**वार्षिकीकृत प्रतिशत दर*(%)**
₹50,000 से कम	**45.00% (3.75% प्रति माह)**
₹50,000 - ₹3,00,000	
₹3,00,001- ₹10,00,000	

₹10,00,000 से अधिक	**23.88% (1.99% प्रति माह)**

**संशोधित दरें 10 जनवरी 2026 से लागू होंगी*

एएमबी- ऑपरेटिव खाता में बैंक के पास बनाए रखा गया औसत मासिक शेष (एवेरज मंथली बैलेंस), यानी किसी दिए गए महीने में सभी क्लोजिंग-डे बैलेंस का औसत। एएमबी की गणना करने के लिए, आपको प्रत्येक दिन के अंत के बैलेंस को जोड़ना होगा और उसे उस महीने के दिनों की संख्या से विभाजित करना होगा। एक तिमाही के लिए एएमबी उस तिमाही के 3 महीनों में बनाए रखे गए एएमबी का औसत होगा। एपीआर प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की शुरुआत की 10 तारीख को अपडेट किया जाएगा।

तिमाहियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: जनवरी, फरवरी और मार्च को तिमाही 1 के रूप में; अप्रैल, मई और जून को तिमाही 2 के रूप में; जुलाई, अगस्त और सितंबर को तिमाही 3 के रूप में और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को तिमाही 4 के रूप में। तिमाही 2 के लिए एपीआर (एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट) पर तिमाही 1 के औसत मासिक बैलेंस के आधार पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, 1 अप्रैल से 3 जून की तिमाही का एपीआर 1 जुलाई को अपडेट किया जाएगा।

उदाहरण:

1 जनवरी को, ऑपरेटिव खाता में शेष राशि ₹50,000 है। 12 जनवरी को, ₹4,000 की निकासी होती है। ईओडी पर शेष राशि ₹46,000 है। 18 जनवरी को, ₹20,000 की राशि जमा की जाती है। ईओडी पर शेष राशि ₹66,000 है। ईओडी पर शेष राशियों का योग करने पर: 11 दिनों के लिए - 1 जनवरी से 12 जनवरी तक - ईओडी पर शेष राशियों का योग (50000*11) = ₹5,50,000 होगा। 12 जनवरी से 18 जनवरी तक, ईओडी पर शेष राशियों का योग (46,000*6) = ₹2,76,000 होगा। 18 जनवरी से 31 जनवरी तक, ईओडी पर शेष राशियों का योग (66,000*13) = ₹8,58,000 होगा। सभी ईओडी पर क्लोजिंग बैलेंस का योग = ₹16,84,000। जनवरी में कुल दिनों की संख्या = 31। इसलिए, औसत मासिक शेष राशि 1684000/31 होगी यानी ₹54,322.58

इसी प्रकार, फरवरी और मार्च के लिए, औसत मासिक शेष क्रमशः ₹70,000 और ₹95,000/- है, तो तिमाही के लिए एएमबी (54,322.58 + 70,000 + 95,000)/3 यानी 2,19,322.58 = ₹73,107.52 होगा, जो ₹50,000- 3,00,000 के बीच है।

इसलिए, ग्राहक को दी जाने वाली एपीआर 45.00% होगी यानी अगली तिमाही के लिए 3.75% प्रति माह।

Federal Bank

<table>
<tr><td></td><td>वे ग्राहक जो बैंक के साथ ऑपरेटिव खाता बनाए नहीं रख रहे हैं, उनसे 45.00% यानी 3.75% प्रति माह की दर से एपीआर शुल्क लिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>देरी से भुगतान शुल्क</td><td><table>
<tr><td>कुल देय राशि (रु.)</td><td>शुल्क (रु.)</td></tr>
<tr><td>₹0 - 250</td><td>₹0</td></tr>
<tr><td>₹251 - 1000</td><td>₹250</td></tr>
<tr><td>₹1001 - 5000</td><td>₹500</td></tr>
<tr><td>₹5001 - 25000</td><td>₹1,000</td></tr>
<tr><td>₹25001 और उससे अधिक</td><td>₹1,250</td></tr>
</table>
* परिवर्तन 20 अगस्त 2024 से प्रभावी होंगे</td></tr>
<tr><td>ओवरलिमिट शुल्क (केवल योग्य ग्राहकों के लिए)</td><td>सीमा से अधिक राशि का 2.5%, जो न्यूनतम ₹500/- के अधीन है।</td></tr>
<tr><td>चेक रिटर्न या डिसऑनर या ऑटो-डेबिट रिवर्सल / अनादरअस्वीकृति (अपर्याप्त धनराशि)</td><td>भुगतान राशि का 2%, जो न्यूनतम ₹450/- के अधीन है</td></tr>
<tr><td>रिवॉर्ड्स रिडेम्पशन फीस</td><td>₹99/- प्रति रिडेम्पशन अनुरोध</td></tr>
<tr><td>किराया भुगतान फीस</td><td>1 अप्रैल 2023 से प्रभावी, किराये के लेनदेन पर कुल लेनदेन राशि का 1% शुल्क और साथ ही लागू कर लगाया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>वॉलेट लोडिंग शुल्क</td><td>वॉलेट लोड लेनदेन पर लेनदेन राशि का 1% शुल्क और लागू कर लगाया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>फ़्यूल लेनदेन सरचार्ज</td><td>फ़्यूल सरचार्ज और लागू कर (जीएसटी सहित), यदि कोई हो, फ़्यूल मर्चेंट/एक्वायरिंग बैंक द्वारा लगाए जाते हैं। फेडरल बैंक मर्चेंट/एक्वायरिंग बैंक से प्राप्त ऐसे सरचार्ज और करों सहित लेनदेन की राशि कार्डधारक के खाते से डेबिट करेगा। तदनुसार, चार्ज स्लिप पर लेनदेन का मूल्य क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दिखाई देने वाली राशि से भिन्न हो सकता है। लगाए गए फ़्यूल सरचार्ज से संबंधित किसी भी विसंगति के लिए, कार्डधारक संबंधित ईंधन मर्चेंट/एक्वायरिंग बैंक से संपर्क कर सकता है।</td></tr>
</table>

Federal Bank

फ़्यूल लेनदेन सरचार्ज छूट	भारत के सभी पेट्रोल पंपों पर इंपीरियो और सेलेस्टा श्रेणी के लिए ₹400/- से ₹5000/- के बीच खर्च करने पर 1% सरचार्ज छूट, प्रति माह अधिकतम ₹150/- तक। नोट: चुनिंदा कार्डों पर पात्र लेनदेन मूल्य के लिए 1% फ़्यूल सरचार्ज छूट (जीएसटी को छोड़कर) प्रदान की जाएगी। फ़्यूल सरचार्ज छूट के नियम और शर्तें भिन्न हो सकती हैं। विवरण के लिए प्रोडक्ट के नियम और शर्तें देखें।
खोए हुए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त कार्ड को फिर से जारी करना	₹200/-
बाहरी चेक प्रोसेसिंग शुल्क	₹5,000 तक की चेक वैल्यू - फ़ीस ₹25/- होगी ₹5,000 से ज़्यादा की चेक वैल्यू - फ़ीस ₹50/- होगी
1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर टीडीएस	01-जुलाई-2020 से प्रभावी, एक वित्तीय वर्ष में खातों और कार्डों से 1 करोड़ रुपये से अधिक की कुल कैश निकालने पर 2% की दर से टीडीएस लागू है। जिन लोगों ने पिछले तीन वर्षों में से किसी में भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए कुल कैश विड्रॉल ₹20 लाख से अधिक होने पर टीडीएस @2% होगा और 1 करोड़ रुपये से अधिक की कुल विड्रॉल के लिए दर 5% होगी। वेव क्रेडिट कार्ड के लिए टीडीएस लागू नहीं है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर सभी शुल्कों, ब्याज और अन्य प्रभारों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा। लागू होने वाला जीएसटी आपूर्तिकर्ता (क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता यानी बैंक) के स्थान और आपूर्ति के स्थान पर निर्भर करेगा। यदि आपूर्ति का स्थान (ग्राहक का पत्राचार पता) केरल में है, तो यह सीजीएसटी और एसजीएसटी (राज्य के भीतर) होगा, अन्यथा आईजीएसटी (अंतरराज्यीय) होगा। सिस्टम में ग्राहक का पंजीकृत डाक पता उपलब्ध न होने की स्थिति में, राज्य के भीतर वाली जीएसटी दरें लागू की जाएंगी। कार्ड धारक सही और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता उचित जीएसटी अनुपालनों को पूरा करने में सक्षम हो सके, जो बदले में कार्ड धारक को क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति (क्रेडिट कार्ड सेवा) का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में सक्षम बनाएगा। कार्ड धारक द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने या कार्ड धारक की किसी चूक या विफलता के कारण कार्ड धारक को होने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के किसी भी नुकसान या इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में होने वाली देरी के लिए क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा। **शुल्क और ब्याज पर किसी भी विवाद या किसी अन्य रियायत/छूट के मामले में एकत्र किया गया जीएसटी वापस नहीं किया जाएगा।**

Federal Bank

लोन प्रोसेसिंग प्री-क्लोज़र शुल्क	क्रेडिट कार्ड ईएमआई सुविधा का तरीका: मर्चेंट आउटलेट (पीओएस मशीन) के माध्यम से लेनदेन के समय, ऑनलाइन लेनदेन और फेड मोबाइल/ फेड नेट और संपर्क केंद्र के माध्यम से लेनदेन के बाद: लेनदेन की राशि पर 1% या ₹99, जो भी अधिक हो, और साथ ही लागू दरों पर जीएसटी देय होगा। यदि क्रेडिट कार्ड ईएमआई को ईएमआई-अवधि पूरी होने से पहले बंद कर दिया जाता है, तो शेष मूल राशि पर 3% + जीएसटी का फोरक्लोजर शुल्क और लागू दरों पर जीएसटी लिया जाएगा। हालांकि, पीओएस के माध्यम से ईएमआई सुविधा वर्चुअल प्रारूप वाले किसी भी कार्ड के लिए लागू नहीं है। **<u>प्री-क्लोजर के लिए ध्यान देने योग्य बातें:</u>** 1. कार्ड सदस्य ईएमआई बुकिंग की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर संपर्क केंद्र पर कॉल करके ईएमआई सुविधा को रद्द कर सकते हैं। रद्द करने के मामले में, मूल लेनदेन राशि जिसे ईएमआई में परिवर्तित किया गया था, ग्राहक के खाते में वापस डेबिट कर दी जाएगी और ऐसी ईएमआई रूपांतरण से संबंधित सभी शुल्क वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन केवल तभी जब कार्ड सदस्य ने ईएमआई बुकिंग की तारीख से 7 दिनों के भीतर कॉल किया हो। 2. यदि कार्ड सदस्य ईएमआई बुकिंग तिथि के 7 कार्य दिवसों के बाद संपर्क केंद्र पर कॉल करता है, तो ऐसे मामलों में ईएमआई रद्द की जा सकती है, हालांकि संबंधित शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे। 3. यदि बुक की गई ईएमआई का स्टेटमेंट बन चुका है, तो ऐसे मामलों में पीएफ / फोरक्लोजर / कोई भी अन्य लागू शुल्क वापस किए जा सकते हैं, यदि यह ईएमआई के 7 कार्य दिवसों के भीतर होता है । 4. प्रति कार्ड सदस्य के अनुसार प्रति तिमाही केवल 1 ईएमआई लेनदेन के सभी शुल्कों की वापसी (7 कार्य दिवसों के भीतर) के साथ फोरक्लोजर की अनुमति है।

आरबीआई के निर्देशानुसार, आपके क्रेडिट कार्ड पर किए गए लेनदेन की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे एफसीआरए खातों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड में कोई भुगतान न करें। यदि इन खातों के माध्यम से कोई भुगतान किया जाता है, तो ग्राहक को गृह मंत्रालय से ऐसे भुगतानों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने वाला नोटिस प्राप्त हो सकता है।

नोट: शुल्कों में कोई भी बदलाव केवल भविष्य की प्रभावी तिथि से लागू किया जाएगा, जिसकी पूर्व सूचना ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से कम से कम एक महीने पहले दी जाएगी। यदि कार्ड सदस्य शुल्कों में होने वाले किसी भी प्रतिकूल बदलाव के कारण अपना कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं, तो उन्हें कार्डधारक द्वारा सभी देय राशियों के भुगतान के अधीन, कार्ड बंद करने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

Federal Bank

1) **<u>शुल्क और फीस:</u>**

A. कार्ड सदस्य द्वारा क्रेडिट कार्ड पर देय फीस: प्रत्येक कार्ड सदस्य के लिए फीस कार्ड के प्रकार, ऑफ़र (यदि कोई हो) आदि के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। इसकी जानकारी कार्ड सदस्य को क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय दी जाती है। उपरोक्त शुल्क लागू होने के अनुसार कार्ड खाता में बिल किए जाते हैं और जिस संबंधित महीने में शुल्क लिया जाता है, उस महीने के कार्ड स्टेटमेंट में इसका विवरण दिया जाएगा।

B. कैश एडवांस फीस (वेव क्रेडिट कार्ड के लिए लागू नहीं): कार्ड सदस्य आपातकालीन स्थिति में भारत या विदेश में एटीएम से कैश निकालने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। निकाली गई राशि पर 2.5% का लेनदेन शुल्क लगाया जाएगा, जो न्यूनतम ₹500/- के अधीन होगा और इसे अगले स्टेटमेंट में कार्ड सदस्य के नाम बिल किया जाएगा। कैश एडवांस शुल्क समय-समय पर बैंक के विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन है। सभी कैश एडवांस पर कैश निकालने की तारीख से रिवॉल्विंग क्रेडिट के समान फाइनेंस शुल्क (कृपया ऊपर बताए गए शुल्क विवरण देखें) भी लागू होंगे, जब तक कि यह बैंक के विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन न हो। फेडरल क्रेडिट कार्ड के लिए कैश निकालने की सुविधा वर्तमान में बैंक की नीति के अनुसार केवल चुनिंदा ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है।

C. शुल्क:

i. समय-समय पर लागू होने वाले शुल्क और फीस, बैंक द्वारा कार्ड सदस्य को प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए या कार्ड सदस्य द्वारा अपने कार्ड खाता के संदर्भ में की गई किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए कार्ड सदस्यों द्वारा देय हैं।

ii. बैंक के पास समय-समय पर किसी भी शुल्क या फीस में बदलाव करने या उचित समझे जाने पर नए शुल्क या फीस लागू करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसकी सूचना ग्राहक को दे दी जाएगी। क्रेडिट कार्ड पर लोन के लिए लागू ब्याज दरों, प्री-क्लोजर और कैंसिलेशन शुल्क की जानकारी के लिए, कृपया यहाँ जाएँ: www.federal.bank.in

iii. डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में, ब्याज शुल्क अधिकतम 3.75% प्रति माह (45.00% प्रति वर्ष) तक बढ़ सकता है।

D. ब्याज मुक्त अवधि: ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि 48 दिनों तक हो सकती है, जो क्रेडिट कार्ड पर लागू योजना और मर्चेंट द्वारा दावों को प्रस्तुत करने के अधीन है। 15 जनवरी, 2021 से 14 फरवरी, 2021 की अवधि के स्टेटमेंट के लिए, भुगतान की नियत तारीख 2 मार्च, 2021 होगी। यह मानते हुए कि आपने पिछले महीने के स्टेटमेंट की अपनी कुल देय राशि का भुगतान, भुगतान की नियत तारीख तक कर दिया है, रियायती अवधि (ग्रेस पीरियड) इस प्रकार होगी:

i) 16 जनवरी, 2021 को की गई खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त रियायती अवधि (ग्रेस पीरियड) 16 जनवरी, 2021 से 2 मार्च, 2021 तक है, यानी 46 दिन।

ii) 14 फरवरी, 2021 को की गई खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त रियायती अवधि (ग्रेस पीरियड) 14 फरवरी, 2021 से 2 मार्च, 2021 तक है, यानी 17 दिन।

इस प्रकार, खरीदारी की तारीख के आधार पर ग्रेस पीरियड अलग-अलग हो सकता है। यह अवधि केवल तभी ब्याज मुक्त होगी जब पिछले सभी देय का पूर्ण भुगतान कर दिया गया हो और पिछले महीनों का कोई भी बकाया शेष न हो। हालांकि, यदि कुल देय राशि का भुगतान भुगतान की नियत तारीख तक नहीं किया जाता है, तो कोई ब्याज मुक्त अवधि नहीं मिलेगी। कैश एडवांस के लिए, लेनदेन की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक ब्याज लिया जाता है।

iii) देरी से भुगतान शुल्क (एलपीसी):

यदि भुगतान की नियत तारीख तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो देरी से भुगतान शुल्क लागू होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई देरी से भुगतान शुल्क न लगाया जाए, भुगतान की नियत तारीख (जिसे 2 फरवरी माना गया है) तक कम से कम न्यूनतम देय राशि यानी नीचे दिए गए उदाहरण- 1 में वर्णित ₹500 का भुगतान करना आवश्यक है। यदि न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित तालिका के अनुसार देरी से भुगतान शुल्क लगाया जाएगा:

कुल देय राशि (रु.)	शुल्क (रु.)
₹0 - 250	₹0
₹251 - 1000	₹250
₹1001 - 5000	₹500
₹5001 - 25000	₹1,000
₹25001 और उससे अधिक	₹1,250

इस प्रकार, नीचे दिए गए उदाहरण- 1 में, चूंकि ₹500/- का न्यूनतम देय राशि 2 फरवरी, 2021 की भुगतान की नियत तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है, और चूंकि कुल देय राशि ₹10,000/- थी, इसलिए 5 फरवरी, 2021 को ₹600/- रुपये का देरी से भुगतान शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क तब भी लागू होगा यदि आप भुगतान की नियत तारीख तक न्यूनतम देय राशि से कम राशि का भुगतान करते हैं।

वॉलेट लोडिंग शुल्क: 1 मई 2024 से प्रभावी, वॉलेट लोड लेनदेन पर लेनदेन राशि का 1% शुल्क, लागू करों के साथ, लगाया जाएगा।

iv) फाइनेंस शुल्क/ब्याज शुल्क:

Federal Bank

i. ब्याज शुल्क का भुगतान केएफएस में निर्दिष्ट मासिक प्रतिशत दर पर उन सभी लेनदेन पर लेनदेन की तारीख से किया जाता है, यदि कार्ड सदस्य अपने पूरे बकाया का भुगतान न करने का विकल्प चुनता है, और कार्ड सदस्य द्वारा लिए गए कैश एडवांस पर उनके पुनर्भुगतान तक किया जाता है। ब्याज शुल्क, यदि देय हो, तो कार्ड सदस्य के खाते में तब तक डेबिट किए जाते हैं जब तक कि कार्ड पर बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं हो जाता।

ii. जब ग्राहक किसी भी बकाया राशि को आगे बढ़ाता है या कैश एडवांस का लाभ उठाता है, तो औसत दैनिक शेष विधि (एवरेज डेली बैलेंस मेथड) का उपयोग करके गणना किया गया फाइनेंस शुल्क आगे बढ़ाई गई शेष राशि और नई बिलिंग पर लागू होगा।

iii. यदि कोई कार्ड धारक बैंक क्रेडिट कार्ड की रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाता है और इसलिए मासिक बिलिंग स्टेटमेंट में दर्शाई गई कुल देय राशि से कम राशि का भुगतान करना चुनता है, तो पूरी बकाया राशि पर ब्याज शुल्क लगेगा, और सभी नए लेनदेन पर भी तब तक ब्याज शुल्क लगेगा जब तक कि पिछली सभी बकाया राशियों का भुगतान भुगतान की नियत तारीख (पीडीडी) से पहले पूरी तरह से नहीं कर दिया जाता। रिवॉल्विंग क्रेडिट एक प्रकार का क्रेडिट है जिसमें किस्त क्रेडिट के विपरीत, भुगतानों की संख्या निश्चित नहीं होती है।

iv. निम्नलिखित उदाहरण ब्याज शुल्क की गणना करने की विधि को दर्शाएगा: नीचे दी गई तालिका में, यह माना गया है कि पिछले महीने के लेनदेन के कुल देय राशि का भुगतान भुगतान की नियत तारीख तक कर दिया गया है और कोई बकाया राशि नहीं है। लेनदेन की तारीख प्रत्येक महीने की 15 तारीख है। इन मान्यताओं को देखते हुए, ब्याज की गणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी:

उदाहरण 1

विवरण	**राशि (रु.)**
14 जनवरी, 2021 को खरीदारी की गई	10,000
15 जनवरी, 2021 के स्टेटमेंट पर कुल देय राशि	10,000
15 जनवरी, 2021 की स्टेटमेंट पर देय न्यूनतम राशि (5%)	500
भुगतान की नियत तारीख - 2 फरवरी, 2021	
10 फरवरी, 2021 को खरीदारी की गई	4,000
13 फरवरी, 2021 को भुगतान प्राप्त हुआ	7,500
3.75 पर ब्याज की गणना (15 फरवरी के स्टेटमेंट में लिया गया कुल ब्याज)	
ए) ₹10,000 पर 30 दिनों का ब्याज (14 जनवरी से 12 फरवरी तक)	369.86
बी) ₹2500 रुपये पर 3 दिनों का ब्याज (13 फरवरी से 15 फरवरी तक)	9.25
सी) ₹4000 पर 6 दिनों का ब्याज (10 फरवरी से 15 फरवरी तक)	29.59
डी) विलंब भुगतान शुल्क 05 फरवरी 2021 को डेबिट किया गया	1,000
ई) ब्याज शुल्क और देरी से भुगतान शुल्क पर जीएसटी लागू होगा	253.57
एफ) 15 फरवरी को देय कुल शुल्क (ए+बी+सी+डी+ई)	1,662.27
नियत तिथि 3 मार्च, 2021 को देय कुल राशि (मूल राशि ₹6500 + देय कुल शुल्क (एफ))	8,162.27

Federal Bank

2) लिमिट:

क्रेडिट लिमिट और कैश निकालने की लिमिट की जानकारी कार्ड की डिलीवरी के समय दी जाती है और मासिक स्टेटमेंट्स में भी इसका उल्लेख किया जाता है। उपलब्ध क्रेडिट लिमिट की गणना कुल क्रेडिट लिमिट में से उपयोग की गई लिमिट को घटाकर की जाती है। यदि कार्ड सदस्य ने कार्ड पर क्रेडिट लिमिट के भीतर कोई लोन लिया है, तो उपलब्ध क्रेडिट लिमिट की गणना करने के लिए बकाया लोन राशि को भी कुल क्रेडिट लिमिट से घटा दिया जाएगा।

बैंक द्वारा निर्धारित अवधि पूरी होने पर, कार्ड सदस्य बैंक द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट लिमिट और/या कैश लिमिट में वृद्धि या कमी की समीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ऐसी समीक्षा के आधार पर क्रेडिट लिमिट और/या कैश लिमिट में कोई भी बदलाव, यदि कोई हो, बैंक के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा। बैंक किसी भी समय कार्ड पर निर्धारित क्रेडिट लिमिट और/या कैश लिमिट की समीक्षा (वृद्धि या कमी सहित) करने के लिए अपने पूर्ण विवेक पर हकदार होगा और क्रेडिट लिमिट और/या कैश लिमिट में केवल वृद्धि, यदि कोई हो, कार्ड सदस्य की सहमति के साथ बैंक द्वारा प्रभावी की जाएगी।

ए. क्रेडिट लिमिट: यह कार्ड धारक को निर्धारित की गई लिमिट है। सभी लेनदेन, शुल्क और प्रभारों सहित कुल बकाया राशि इस लिमिट से अधिक नहीं होनी चाहिए

बी. कैश विड्रॉल लिमिट: यह कार्ड धारक को निर्धारित की गई कैश विड्रॉल लिमिट है। यह लिमिट क्रेडिट लिमिट से कम है और समग्र क्रेडिट लिमिट का एक हिस्सा है। निकाली गई राशि पर 2.5% का लेनदेन शुल्क (वेव क्रेडिट कार्ड के लिए लागू नहीं) लगाया जाएगा, जो न्यूनतम ₹500/- के शुल्क के अधीन होगा और अगले स्टेटमेंट में कार्ड सदस्य से लिया जाएगा। इसके अलावा, कैश लेनदेन पर हमेशा लेनदेन की तारीख से ही फ़ाइनेंस चार्ज लगने लगते हैं, जबकि रिटेल खरीदारी में ब्याज इस बात पर निर्भर करता है कि भुगतान की तय तारीख तक 100% बैलेंस का भुगतान किया गया है या नहीं।

i) उपलब्ध क्रेडिट लिमिट: किसी भी समय उपलब्ध क्रेडिट लिमिट, निर्धारित क्रेडिट लिमिट और उस समय कार्ड पर बकाया राशि के बीच का अंतर होता है। एड-ऑन कार्ड धारक प्राथमिक कार्ड धारक को आवंटित इस क्रेडिट लिमिट को साझा करेंगे।

ii) उपलब्ध कैश लिमिट: किसी भी समय उपलब्ध कैश लिमिट, निर्धारित कैश लिमिट और उस समय कार्ड पर बकाया कैश बैलेंस के बीच का अंतर होती है।

3) क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन:

अपने फिजिकल क्रेडिट कार्ड को पीओएस/एटीएम/कॉन्टैक्टलेस के लिए एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले पिन सेट करना होगा। आप निम्नलिखित में से किसी भी विकल्प के माध्यम से अपना क्रेडिट कार्ड पिन सेट कर सकते हैं।

1. फेडमोबाइल ऐप का उपयोग करके: फेडमोबाइल लॉगिन करें → क्रेडिट कार्ड → क्रेडिट कार्ड पिन सेट करें
2. 0484-2630994 डायल करके इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) सिस्टम का उपयोग करें

Federal Bank

ई-कॉम (ऑनलाइन) लेनदेन के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए:

1. फेडमोबाइल ऐप का उपयोग करके: फेडमोबाइल लॉगिन करें → क्रेडिट कार्ड → क्रेडिट कार्ड पिन सेट करें
2. 080 - 49670455 पर मिस्ड कॉल देकर अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करें - यह तेज़ और आसान है! ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 08049670455 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं।

4) <u>लाउंज एक्सेस</u>

1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी, मानार्थ एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस निम्नलिखित संशोधित शर्तों द्वारा शासित होगा:

1. तिमाही खर्च-आधारित योग्यता:

मानार्थ लाउंज एक्सेस केवल उन प्राइमरी कार्ड सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा जो ठीक पिछले कैलेंडर तिमाही के दौरान नीचे दी गई न्यूनतम खर्च की आवश्यकता को पूरा करते हैं। लागू खर्च की आवश्यकता और एक्सेस की अवधि नीचे दी गई है:

त्रैमासिक खर्च साइकिल *		**मानार्थ त्रैमासिक लाउंज एक्सेस**	
प्रारंभ तिथि	**समाप्ति तिथि**	**प्रारंभ तिथि**	**समाप्ति तिथि**
21-जून	20-सितंबर	01-अक्टूबर	31-दिसंबर
21-सितंबर	20-दिसंबर	01-जनवरी	31-मार्च
21-दिसंबर	20-मार्च	एपीआर	30-जून
21-मार्च	20-जून	01-जुलाई	30-सितंबर

2. वैरिएंट- वाइज़ लाउंज एक्सेस सीमाएं:

प्रति पात्र तिमाही में उपलब्ध मानार्थ लाउंज विज़िट एक्सेस की संख्या कार्ड के प्रकारों पर आधारित है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

Federal Bank

कार्ड वेरिएंट	तिमाही खर्च	लाउंज एक्सेस
सिग्नेट	₹20,000	प्रति तिमाही 1 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस
इम्पेरियो	₹40,000	प्रति तिमाही 2 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस
सेलेस्टा	₹60,000	प्रति तिमाही 2 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस (तिमाही खर्च के आधार पर) और प्रति वर्ष 2 अंतरराष्ट्रीय लाउंज एक्सेस (बिना किसी खर्च की शर्त के)।

3. **सामान्य शर्तें:**

   i. ऐड-ऑन कार्ड धारक लाउंज एक्सेस बेनिफिट्स के लिए योग्य नहीं होंगे, चाहे प्राइमरी कार्ड धारक कितना भी खर्च करें।

   ii. यदि योग्यता अवधि के दौरान न्यूनतम खर्च पूरा नहीं होता है, तो लाउंज एक्सेस से इनकार कर दिया जाएगा या यह शुल्क योग्य होगा।

   iii. अनुपयोगी लाउंज एक्सेस को अगली तिमाहियों में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

   iv. बैंक अपने पूर्ण और विवेकाधीन अधिकार पर लाउंज एक्सेस प्रोग्राम को संशोधित करने, वापस लेने या बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।"

   v. कार्ड का उपयोग करके किए गए कैश लेनदेन (जिसमें एटीएम कैश विड्रॉल शामिल है) को लाउंज एक्सेस लाभों के लिए योग्य होने हेतु वैध खर्च नहीं माना जाएगा।

   vi. केवल वे लेनदेन जो लागू तिमाही खर्च साइकिल के भीतर सेटल/बिल किए गए हैं, उन्हें लाउंज एक्सेस योग्यता के लिए माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि तिमाही खर्च साइकिल 21- जून से 20 सितंबर तक है, और एक लेनदेन 19 सितंबर को किया जाता है लेकिन केवल 21 सितंबर को बिल/सेटल किया जाता है, तो उस खर्च को संबंधित तिमाही खर्च साइकिल के लिए नहीं माना जाएगा। लाउंज एक्सेस लाभों के लिए योग्यता निर्धारित करने हेतु ऐसे लेनदेन को केवल बाद के तिमाही खर्च साइकिल (यानी अक्टूबर से दिसंबर) में गिना जाएगा।

5) **<u>बिलिंग स्टेटमेंट:</u>**

बैंक कार्ड सदस्य को एक मासिक स्टेटमेंट भेजेगा जिसमें पिछले स्टेटमेंट के बाद से कार्ड सदस्य के खाते में जमा किए गए भुगतान और डेबिट किए गए लेनदेन दिखाए जाएंगे। बैंक हर महीने एक पूर्व-निर्धारित तिथि पर, बैंक के पास रिकॉर्ड में मौजूद पत्राचार के पते पर कार्ड खाता में हुए लेनदेन का विवरण मेल करेगा। यदि बकाया राशि ₹200/- से कम है और पिछले स्टेटमेंट के बाद से बिलिंग के लिए कोई और लेनदेन बकाया नहीं है, तो कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा।

A. कार्ड पर लागू होने वाला बिलिंग साइकिल वही होगा जो बैंक द्वारा आपके कार्ड को आवंटित किया गया है। आपको बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत विभिन्न माध्यमों से महीने की 1 और 28 तारीख के बीच किसी भी तारीख को चुनकर

बिलिंग साइकिल बदलने का विकल्प दिया जाएगा, बशर्ते कार्ड खाते में कोई बकाया देय राशि न हो। आप कार्ड के पूरे जीवनचक्र के दौरान अधिकतम 5 (पाँच) बार बिलिंग साइकिल के शुरू होने या समाप्त होने के दिन को बदलने के हकदार हैं। इस सीमा से अधिक बिलिंग साइकिल बदलने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि कार्ड को अपग्रेड न किया जाए। कार्ड अपग्रेड करने पर, आपको पिछले कार्ड के संबंध में किए गए बिलिंग साइकिल परिवर्तनों के बावजूद, बिलिंग साइकिल बदलने के अतिरिक्त 5 (पाँच) अवसर प्राप्त होंगे।

B. स्टेटमेंट भेजने की समय सीमा और तरीका: सभी कार्ड सदस्यों से कार्ड के उपयोग के माध्यम से किए गए सभी शुल्कों और कार्ड खाते पर लागू सभी शुल्कों के लिए मासिक रूप से बिल लिया जाएगा। बिलिंग स्टेटमेंट ग्राहकों को मासिक रूप से ईमेल पर साझा किया जाएगा।

C. कुल देय राशि: कुल देय राशि वह कुल राशि है (बिलिंग साइकिल के दौरान प्राप्त क्रेडिट, यदि कोई हो, को घटाकर) जो बिलिंग साइकिल के अंत में उत्पन्न क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अनुसार कार्ड धारक द्वारा देय है।

D. न्यूनतम देय राशि: न्यूनतम देय राशि (एमएडी) की गणना कुल देय राशि के 5% (न्यूनतम ₹100/- के अधीन), महीने के लिए नए ईएमआई डेबिट या किसी भी पिछले बकाया ईएमआई डेबिट + जीएसटी + शुल्क के योग के रूप में की जाती है। यदि कार्ड सदस्य कुल देय भुगतान या एमएडी (किसी भी परिस्थिति में एमएडी से कम नहीं) का हिस्सा जमा करता है, तो शेष बकाया देय राशि को अगले स्टेट्मेंट्स में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस राशि पर पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक ब्याज शुल्क लगेगा। कृपया ध्यान दें कि हर महीने केवल न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने से पुनर्भुगतान की अवधि लंबी हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप कार्ड सदस्य की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा। ब्याज शुल्क पिछली तिमाही के लिए बचत खाते में ग्राहक द्वारा बनाए रखे गए शेष राशि पर निर्भर करेगा।

फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड (सिग्नेट, इम्पेरियो, सेलेस्टा और वेव)	
पिछली तिमाही के लिए औसत मासिक शेष	**वार्षिकीकृत प्रतिशत दर*(%)**
₹50,000 से कम	**45.00% (3.75% प्रति माह)**
₹50,000 - ₹3,00,000	
₹3,00,001- ₹10,00,000	**23.88% (1.99% प्रति माह)**
₹10,00,000 से अधिक	

**संशोधित दरें 10 जनवरी 2026 से लागू होंगी*

एएमबी- ऑपरेटिव खाता में बैंक के पास बनाए रखा गया औसत मासिक शेष, यानी किसी दिए गए महीने में सभी क्लोजिंग-डे बैलेंस का औसत। एएमबी की गणना करने के लिए, आपको प्रत्येक दिन के अंत के बैलेंस को जोड़ना होगा और उसे उस महीने के दिनों की संख्या से विभाजित करना होगा। एक तिमाही के लिए एएमबी उस तिमाही के 3 महीनों में बनाए रखे गए एएमबी का औसत होगा।

तिमाहियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: जनवरी, फरवरी और मार्च को तिमाही 1 के रूप में; अप्रैल, मई और जून को तिमाही 2 के रूप में; जुलाई, अगस्त और सितंबर को तिमाही 3 के रूप में और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को तिमाही 4 के रूप में। तिमाही 2 के लिए एपीआर पर तिमाही 1 के औसत मासिक शेष के आधार पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए: 1 जनवरी-31 मार्च का एएमबी तिमाही 1 अप्रैल-30 जून आदि के लिए लागू होगा।

ईएमआई में परिवर्तित लेनदेन / रद्द किए गए लेनदेन / रिवर्सल / प्रमोशनल कैशबैक के कारण किसी भी मर्चेंट रिफंड/कैशबैक/क्रेडिट को कार्ड के बकाया भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा।

यदि कार्ड सदस्य कार्ड के बकाया की तुलना में अधिक भुगतान करता है, तो कार्ड खाते में क्रेडिट शेष होगा। इसे कार्ड पर होने वाले बाद के लेनदेन के साथ एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि, इस अतिरिक्त क्रेडिट राशि पर किसी भी ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता है।

E. बिलिंग विवाद समाधान: यदि कार्ड सदस्य स्टेटमेंट में दर्शाए गए शुल्कों से असहमत है, तो इसकी सूचना स्टेटमेंट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर 1800 420 1199/ 1800 425 1199 पर कस्टमर केयर को कॉल करके या creditcards@federal.bank.in पर ईमेल करके बैंक को दी जानी चाहिए, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि स्टेटमेंट में दर्शाए गए सभी शुल्क आपके द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं।

बैंक का पूरा डाक पता: द फेडरल बैंक लिमिटेड, दूसरी मंजिल, पारक्कल टावर्स, ऑप्स - कार्ड्स एंड अकाउंट सर्विसेज विभाग, पारूर जंक्शन, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल, भारत, 683 102

6) <u>भुगतान के तरीके:</u>

A. कार्ड सदस्य किसी भी बैंक में सेविंग/करंट खाता रखने वाले इसके माध्यम से भुगतान कर सकते हैं:

i. एनईएफटी/आईएमपीएस:

a. www.federal.bank.in पर लॉग ऑन करें

b. कार्ड सदस्य के बेनिफ़िशियरी की जानकारी ऐड करें और सीधे पैसे ट्रांसफ़र करें

नाम: कार्ड पर अंकित नाम
बैंक का नाम: फेडरल बैंक
खाता संख्या: कार्ड संख्या
आईएफएससी: FDRL0CARDS
ब्रांच की लोकेशन: अलुवा

Federal Bank

ii. ऑटो डेबिट: यदि कार्ड सदस्य का बैंक में बचत खाता है, तो वह हर महीने भुगतान की नियत तारीख को उस खाते से भुगतान डेबिट करने के लिए लिखित निर्देश देकर सीधे बचत खाते के माध्यम से भुगतान कर सकता है। कार्ड धारक सहमत है कि फ्लोटर क्रेडिट कार्ड के तहत देय राशि के पुनर्भुगतान का तरीका (जिसमें वह निर्दिष्ट खाता शामिल है जिससे ऑटो-डेबिट लिंक है, चाहे ऑटो-डेबिट की जाने वाली राशि कुल देय राशि हो या न्यूनतम देय राशि आदि) वही होगा जो प्राइमरी कार्ड पर लागू शर्तों के अनुसार है। यदि कार्ड धारक पुनर्भुगतान के तरीके में कोई बदलाव करना चाहता है, तो कार्ड धारक बैंक संपर्क केंद्र (ई-मेल: creditcards@federal.bank.in टोल फ्री 18004201199 या 18004251199) को एक विशिष्ट अनुरोध प्रस्तुत करेगा जिसे बैंक अपने पूर्ण और विवेकाधिकार से स्वीकृत कर सकता है। फ्लोटर क्रेडिट कार्ड जारी होने के बाद प्राइमरी कार्ड के पुनर्भुगतान के तरीके में किया गया कोई भी बदलाव फ्लोटर क्रेडिट कार्ड में लागू/प्रतिबिंबित नहीं होगा।

ऐसी स्थिति में जहाँ कार्ड सदस्य अपने एनआरओ खाते से प्रेषण (रेमिटेंस) कर रहे हैं, वे यह आश्वासन देते हैं कि ऐसा प्रेषण भारत में उनकी वैध प्राप्तियों से उत्पन्न उनके एनआरओ खाते में रखी गई शेष राशि से किया गया है, न कि किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या किसी अन्य एनआरओ खाते से हस्तांतरण के माध्यम से। इस तरह के आश्वासन के उल्लंघन पर, कार्ड सदस्य फेमा के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्ड सदस्य यह भी पुष्टि और आश्वासन देते हैं कि उनके एनआरओ खाते की शेष राशि से भारत के बाहर भेजी गई राशि, एनआरओ खाते से एनआरई खाते में हस्तांतरित राशि, क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान और किसी अन्य अनुरोध के माध्यम से हस्तांतरित की जाने वाली राशि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक में यूएसडी 1,000,000- (एक मिलियन अमेरिकी डॉलर) या इसके समकक्ष से कम है। एनआरओ खाते को डेबिट करके क्रेडिट कार्ड बिल निपटान के लिए उपयोग की गई धनराशि के लिए, कार्ड सदस्य पुष्टि करते हैं कि सीबीडीटी नियमों के अनुसार भारत में कर योग्य आय पर लागू करों का भुगतान कर दिया गया है और कार्ड सदस्य तथा एनआरओ खाताधारक एक ही व्यक्ति हैं। बकाया देय राशि बैंक के पास रखे गए कार्ड सदस्य के किसी भी चालू खाते से ऑटो रिकवरी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भी वसूल की जा सकती है।

अनिवासी (एनआर) ग्राहकों पर लागू अतिरिक्त प्रावधान: अनिवासी (एनआर) ग्राहकों के लिए, क्रेडिट कार्ड खाते की सेवाओं के लिए बैंक में निर्दिष्ट एनआरई या एनआरओ खाते के माध्यम से ऑटो डेबिट मैंडेट का पंजीकरण और उसका रखरखाव अनिवार्य होगा। जहाँ ऑटो डेबिट मैंडेट एनआरओ खाते के माध्यम से पंजीकृत है, वहाँ क्रेडिट कार्ड का अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए उपयोग समय-समय पर संशोधित लागू विनियामक आवश्यकताओं और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन होगा। एनआर ग्राहक क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान केवल पंजीकृत ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से, फेडमोबाइल, फेडनेट, एनआरई/एनआरओ खाते से ई-कलेक्शन अंतरण के माध्यम से या बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से अनुमोदित ऐसे अन्य भुगतान माध्यमों से ही करेंगे। बीबीपीएस, नकद, एनईएफटी, आईएमपीएस या बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न किए गए किसी अन्य माध्यम से भुगतान की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त आवश्यकताओं, लागू कानूनों, विनियामक निर्देशों या बैंक की नीतियों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, बैंक को कार्ड लेनदेन और/या कार्ड के उपयोग को अस्वीकार करने, प्रतिबंधित करने या निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

iii. चेक / ड्राफ्ट: “फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड संख्या XXXXXXXXXXXXXXXX” के पक्ष में चेक या ड्राफ्ट बनाएं और इसे बैंक शाखाओं के कलेक्शन बॉक्स में डालें या काउंटर पर जमा करें। बाहरी चेक / ड्राफ्ट यानी विशिष्ट शहरों (ऐसे विशिष्ट

शहरों की सूची, जो बैंक द्वारा समय-समय पर तय की जाती है, अनुरोध पर उपलब्ध है) के अलावा अन्य शहरों में देय चेक / ड्राफ्ट पर प्रोसेसिंग शुल्क लग सकता है।

बैंक चेक की क्लियरेंस के लिए टीएटी – 1 कार्य दिवस।

दूसरे बैंक के चेक के क्लियरेंस के लिए टीएटी – पैसे मिलने के आधार पर 3 - 5 कार्य दिवस

iv. कैश: कार्ड धारक कार्ड भुगतान के लिए बैंक की किसी भी शाखा में कैश जमा कर सकते हैं। शाखाओं पर ऐसे भुगतान करने पर हर भुगतान लेनदेन के लिए 100 रुपये का शुल्क लगेगा।

v. पेमेंट गेटवे: ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड->पे क्रेडिट कार्ड बिल्स-> पे वाया पीजी के अंतर्गत उपलब्ध पेमेंट गेटवे पोर्टल का उपयोग करके अन्य बैंक खातों से अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
फंड सेटलमेंट के लिए टीएटी: 3 कार्य दिवसों तक।

B. फेडरल बैंक के साथ सेविंग/करंट खाता रखने वाले कार्ड सदस्य भुगतान के उपरोक्त तरीकों के अलावा, निम्नलिखित चैनलों का उपयोग कर सकते हैं

i. फेड मोबाइल के माध्यम से भुगतान करें: ग्राहक फेड मोबाइल ऐप (फेड मोबाइल-> क्रेडिट कार्ड->क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करें) का उपयोग करके अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान कर सकते हैं

फंड सेटलमेंट के लिए टीएटी: टी+1 (जहां 'टी' लेनदेन की तारीख है)

ii. फेड नेट के माध्यम से भुगतान करें: ग्राहक फेड नेट (फेड नेट->क्रेडिट कार्ड-> डैशबोर्ड-> भुगतान करें) का उपयोग करके अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान कर सकते हैं

फंड सेटलमेंट के लिए टीएटी: टी+1 (जहां 'टी' लेनदेन की तारीख है)

क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान को ऑटो डेबिट के अलावा किसी भी अन्य ऑटो- पेमेंट मोड के माध्यम से करने पर भुगतान की नियत तारीख से कम से कम तीन दिन पहले किया जाना चाहिए। ऑटो-डेबिट के लिए, बैंक के पास वैध ऑटो-डेबिट मैंडेट रजिस्टर्ड होना चाहिए और भुगतान की नियत तारीख से 1 दिन पहले डेबिट खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखी जानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <u>क्रेडिट कार्ड भुगतान- अपने क्रेडिट कार्ड बिल का ऑनलाइन भुगतान करें| फेडरल बैंक</u>

7) <u>रिवॉर्ड पॉइंट्स:</u>

रिवॉर्ड पॉइंट्स का प्रबंधन एंटरप्राइज स्तर पर किया जाएगा और इसमें बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए रिटेल लेनदेन द्वारा संचित सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स शामिल होंगे। रिवॉर्ड पॉइंट संरचना नीचे दी गई है:

कार्ड का नाम	प्रति रुपये खर्च पर मिलने वाले पॉइंट्स
सिग्नेट	₹200/- खर्च करने पर 1 पॉइंट
इम्पेरियो	₹150/- खर्च करने पर 1 पॉइंट
सेलेस्टा	₹100/- खर्च करने पर 1 पॉइंट
वेव	₹200/- खर्च करने पर 1 पॉइंट

a) कैश लेनदेन, फ्यूल खर्च, ई-वॉलेट लोडिंग और सरकारी लेनदेन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे।

b) यदि कार्ड का भुगतान बकाया है, कार्ड सस्पेंड है या डिफ़ॉल्ट की स्थिति में है, अथवा यदि कार्ड खाता के धोखाधड़ी से संचालित होने का उचित संदेह है, तो बैंक कार्ड पर अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट्स को रद्द या सस्पेंड करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्ड सदस्य की मृत्यु के समय या कार्ड के कैंसिलेशन/समाप्ति से पहले अर्जित किए गए लेकिन रिडीम नहीं किए गए रिवॉर्ड पॉइंट्स जब्त कर लिए जाएंगे।

c) 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी, निम्नलिखित श्रेणियों/एमसीसी कोड पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्जित नहीं किए जा सकेंगे: फ्यूल (5541, 7983, 5172, 5542) और सरकारी सेवाएं (9399, 4784, 9311, 9222, 9402, 4011, 9405, 9211)

d) 15 जुलाई 2024 से प्रभावी, वित्तीय संस्थानों (6012) और क्वासी कैश (6051 और 6050) से संबंधित लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे।

e) 15 जुलाई 2024 से प्रभावी, बीमा लेनदेन (6300 और 5960) के लिए अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट्स पर प्रति कार्ड प्रति कैलेंडर माह 250 पॉइंट्स की मासिक सीमा लागू होगी।

f) प्रत्येक फेडरल रिवॉर्ड पॉइंट का मूल्य 0.25 रुपये है।

g) 15 जुलाई 2024 से प्रभावी, कार्ड खाता में 'कैश' के रूप में रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडेम्पशन की गणना 10 पैसे प्रति पॉइंट की दर से की जाएगी।

h) 1 अप्रैल 2023 से, कार्ड के माध्यम से किए गए किराए के भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्जित नहीं होंगे।

8) <u>डिफ़ॉल्ट:</u>

A. यदि कार्ड सदस्य बिलिंग स्टेटमेंट में बताई गई तारीख तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसे चूक (डिफ़ॉल्ट) माना जाएगा। डिफ़ॉल्ट के मामले में, बैंक डिफ़ॉल्ट की रिपोर्ट क्रेडिट सूचना ब्यूरो को या कानून द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य एजेंसियों को भेज सकता है। हालांकि, किसी भी डिफ़ॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले, बैंक चूक की रिपोर्ट करने के अपने इरादे के बारे में कार्ड सदस्य को सात दिन पहले सूचित करेगा। बैंक मासिक आधार पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो या कानून द्वारा अप्रूव्ड ऐसी अन्य एजेंसियों (भारत में) को कार्ड सदस्य का डेटा जमा करता है। इस डेटा

में पिछले महीने के सभी कार्डधारकों (जिसमें क्रेडिट सूचना ब्यूरो को रिपोर्ट करने के बाद किए गए बकाया के किसी भी निपटान का विवरण शामिल है), यानी चूक करने वाले और चूक न करने वाले दोनों की पुनर्भुगतान स्थिति शामिल होगी। ब्यूरो जमा किए गए डेटा को अगले तीस दिनों में अपने सर्वर पर अपलोड कर देंगे।

B. डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट वापस लेने की प्रक्रिया और बकाया राशि के निपटान के बाद वह अवधि, जिसके भीतर डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट वापस ले ली जाएगी।

C. यदि कार्ड सदस्य डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद बकाया राशि का निपटान करता है, तो बैंक निपटान की तारीख से 30 दिनों के भीतर क्रेडिट सूचना ब्यूरो या कानून द्वारा अप्रूव्ड ऐसी अन्य एजेंसियों को स्थिति अपडेट कर देगा। यदि किसी लेनदेन पर कोई विवाद उठाया जाता है, तो डिफॉल्ट से संबंधित रिपोर्ट विवाद सुलझने के बाद ही दी जाएगी। जैसा कि क्लॉज ए में ऊपर उल्लेख किया गया है, ब्यूरो अगले तीस दिनों में सबमिट किए गए डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर देंगे। कार्ड सदस्य बैंक द्वारा कार्ड सदस्य को दी गई किसी भी अन्य लोन/वित्तीय/क्रेडिट सुविधा के संबंध में डिफॉल्ट की स्थिति में क्रेडिट कार्ड सुविधा को समाप्त करने के बैंक के अधिकार को स्वीकार करता है और इसके विपरीत भी। कार्ड खाता में बकाया राशि के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट की स्थिति में, बैंक नियम और शर्तों में विस्तार से बताए गए अनुसार वसूली कार्यवाही/कानूनी कार्रवाई करने का हकदार होगा।

D. कार्ड सदस्य की मृत्यु या स्थायी अक्षमता की स्थिति में बकाया राशि की वसूली: यह प्रक्रिया बकाया राशि के भुगतान के लिए पर्याप्त नोटिस देने और कार्ड सदस्य के उत्तराधिकारियों/नामित व्यक्तियों/कानूनी वारिसों/अभिभावकों को बकाया राशि से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने के बाद, लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी।

E. कार्ड सदस्य यह स्वीकार करता है और मानता है कि सब-स्टैंडर्ड/डाउटफुल/लॉस एनपीए में वर्गीकरण आरबीआई के आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर प्रूडेंशियल मानदंडों के मास्टर सर्कुलर के अनुसार किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सबस्टैंडर्ड/डाउटफुल/लॉस एनपीए में वर्गीकरण बैंक के साथ कुल एक्सपोजर में संयुक्त सुरक्षा प्रभाजन और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट आयु नियमों के आधार पर, आईआरएसी पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स से संबंधित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। वर्तमान मानदंडों के अनुसार, 90 (नब्बे) दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया रहने वाले किसी भी देय को अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर आरबीआई मास्टर सर्कुलर के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ii. क्रेडिट कार्ड खाता को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने की स्थिति में, बैंक में आपके नाम पर मौजूद अन्य सभी क्रेडिट सुविधाओं को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसी तरह, आपके नाम पर मौजूद आपकी अन्य सुविधा/सुविधाओं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने की स्थिति में, कार्ड खाता को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, कार्ड खाता/अन्य सुविधाओं को तब तक मानक संपत्ति के रूप में अपग्रेड नहीं किया जाएगा जब तक कि आप ऐसे सभी खातों के संबंध में संपूर्ण बकाया/देय राशि का भुगतान नहीं कर देते (अर्थात सभी खातों में बकाया/देय राशि शून्य होनी चाहिए)। आप स्वीकार करते हैं कि वर्गीकरण की इस परस्पर निर्भरता/जुड़ाव का क्रेडिट प्रोडक्ट्स/सुविधाओं के लिए आपकी भविष्य की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

iii. उधारकर्ता खातों का एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के लिए दिन की समाप्ति की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण की तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए दिन की समाप्ति की प्रक्रिया चलाई जाती है। दूसरे शब्दों में, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के दिन की समाप्ति पर खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

जब नियत तिथि से भुगतान के लिए राशि पेंडिगं हो या बकाया राशि देय हो, तो कार्ड को विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। एसएमए के वर्गीकरण के लिए लागू मानदंड इस प्रकार हैं:

एसएमए श्रेणियां	वर्गीकरण का आधार (मूलधन या ब्याज या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह या कुछ हिस्सा देय हो)
एसएमए – 0	भुगतान की नियत तारीख (पीडीडी) से 30 दिनों तक।
एसएमए – 1	भुगतान की नियत तारीख (पीडीडी) से 30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक।
एसएमए – 2	भुगतान की नियत तारीख (पीडीडी) से 60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक।

iv. यदि कार्ड खाता के तहत बैंक को देय कोई भी राशि बकाया रहती है या 90 दिनों से अधिक समय तक देय है, तो कार्ड खाता को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। चूक की घटना होने पर, कार्ड सदस्य को कार्ड खाता पर किसी भी बकाया देय राशि के निपटान के लिए समय-समय पर डाक, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस संदेश और/या किसी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं (संग्रह/वसूली एजेंटों) के माध्यम से याद दिलाने, फॉलो-अप करने और बकाया राशि एकत्र करने के लिए रिमाइंडर भेजे जाएंगे। कार्ड सदस्य बकाया राशि के संग्रह/वसूली से संबंधित सभी/किसी भी खर्च का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इसे कार्ड खाता से डेबिट किया जाएगा।

F. उपलब्ध बीमा कवर का विवरण (यदि लागू हो): लागू प्रीमियम का भुगतान करने पर, उधारकर्ता कार्ड को किसी भी नुकसान/चोरी/गलत इस्तेमाल आदि से सुरक्षित रखने के लिए इंश्योरेंस कवर ले सकता है। इससे जुड़ी जानकारी, जैसे एक्टिवेशन की तारीख, नॉमिनेशन की जानकारी आदि, मुख्य तथ्य विवरण (की फैक्ट स्टेटमेंट) में बताई गई जानकारी के अनुसार होगी।

9) <u>ग्रहणाधिकार (लियन) का अधिकार:</u>

A. बैंक के पास किसी भी समय और बिना किसी सूचना के, कार्ड सदस्य और/या एड-ऑन कार्ड सदस्य के उन सभी पैसों पर ग्रहणाधिकार (लिएन) और समायोजन (सेट ऑफ) का अधिकार होगा जो बैंक के किसी भी खाते/अभिरक्षा में उनके क्रेडिट के रूप में जमा हैं, यदि बैंक द्वारा मांग किए जाने पर, कार्ड खाता की शेष राशि निर्धारित समय के भीतर नहीं चुकाई जाती है।

B. रिडेम्पशन के सेटलमेंट के दौरान, यदि उपलब्ध रिवॉर्ड पॉइंट्स बैलेंस लेनदेन के लिए आवश्यक पॉइंट्स से कम है, तो बैंक ग्राहक के कार्ड/खाते से अंतर राशि डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

C. सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के लिए, ग्राहक की सावधि जमा (टर्म डिपॉजिट) को ग्राहक को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध ग्रहणाधिकार (लिएन) के रूप में चिह्नित किया जाएगा। ग्राहक द्वारा सभी बकाया देय राशि का भुगतान करने और बैंक के पास उपलब्ध कार्ड खाता को बंद करने के बाद यह ग्रहणाधिकार (लिएन) हटा लिया जाएगा।

10) <u>कार्ड मेंबरशिप को खत्म करना/रद्द करना</u>

कार्ड सदस्य किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के या सूचना देकर कार्ड खाता को समाप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। दुरुपयोग से बचने के लिए, क्रेडिट कार्ड को चार टुकड़ों में काटने की सलाह दी जाती है ताकि होलोग्राम और मैग्नेटिक स्ट्रिप स्थायी रूप से नष्ट हो जाएं। कार्ड सदस्य पूर्ण कार्ड नंबर का उल्लेख करते हुए "द फेडरल बैंक लिमिटेड, दूसरी मंजिल, पारक्कल टावर्स, ऑप्स – कार्ड्स एंड अकाउंट सर्विसेज डिपार्टमेंट, पारूर जंक्शन, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल, भारत, 683 102" को लिखकर किसी भी समय कार्ड मेंबरशिप को समाप्त कर सकते हैं। कार्ड सदस्य फेड मोबाइल, फेड नेट या बैंक के संपर्क केंद्र के माध्यम से भी क्रेडिट कार्ड को रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अलावा, कार्ड सदस्य अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक एसएमएस भेजकर भी कार्ड सदस्यता को समाप्त करने या क्रेडिट कार्ड को रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं, जिसका प्रारूप इस प्रकार है: CCCANCEL<कार्ड के अंतिम 4 अंक> और इसे समर्पित मोबाइल नंबर: +91-9873662838 पर भेजें। एसएमएस के माध्यम से कैंसिलेशन अनुरोध केवल ऊपर निर्धारित प्रारूप में ही शुरू किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में कार्ड सदस्य कार्ड मेंबरशिप/खाते की समाप्ति/ कैंसिलेशन के लिए एसएमएस/संदेश के माध्यम से ऊपर बताए गए तरीके के अलावा अपने कार्ड का विवरण साझा नहीं करेंगे।

समाप्ति केवल तभी प्रभावी होगी जब बैंक उक्त कार्ड खाते के संबंध में सभी देय और बकाया राशियों का भुगतान प्राप्त कर लेगा। बिलिंग साइकिल के लिए ब्याज/ फाइनेंस शुल्क, यदि कोई लागू हो, अगले बिलिंग साइकिल पर लगाए जाएंगे/देय होंगे और कार्ड सदस्य, कार्ड मेंबरशिप की समाप्ति/ कैंसिलेशन के बावजूद उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम बंद होने की स्थिति में या क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल के समय, बैंक अपने विवेकाधिकार से, कार्ड सदस्य के पास मौजूद वर्तमान कार्ड के प्रकार से भिन्न कार्ड प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट लिमिट और कैश लिमिट किसी भी समय बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार से निर्धारित की जाती है। कार्ड का आवेदन, प्रोग्राम बंद होने या रिन्यूअल के समय दिए गए किसी भी रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए मान्य रहेगा।

यदि किसी क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय से नहीं किया गया है, तो कार्ड धारक को सूचित करने के बाद कार्ड बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि उपयोग न किए जाने की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर कार्ड धारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो कार्ड धारक द्वारा सभी देय राशियों के भुगतान के अधीन, बैंक द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा। कार्ड खाता बंद करने से संबंधित जानकारी 30 दिनों के भीतर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी/कंपनियों के पास भी अपडेट कर दी जाएगी। क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने के लिए, ग्राहक हमारे 24-घंटे के कस्टमर केयर नंबर 1800 420 1199/ 1800 425 1199 पर कॉल कर सकते हैं या creditcards@federal.bank.in पर ईमेल कर सकते हैं।

Federal Bank

क्रेडिट कार्ड पर गलत बिक्री या क्रेडिट कार्ड से संबंधित रिकवरी एजेंटों द्वारा उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए, कृपया ccsalessupport@federal.bank.in को लिखें या 0484-6754111 पर कॉल करें। यदि आपका कोई बकाया देय है, तो उसे बचत खाते में उपलब्ध धनराशि (यदि कोई हो) का उपयोग करके या सावधि जमा (टर्म डिपॉजिट) (पूर्ण या आंशिक रूप से) को बंद करके चुकाया जाएगा और/या यदि बचत/सावधि जमा (टर्म डिपॉजिट) खातों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट विवरण की रिपोर्ट क्रेडिट सूचना कंपनियों को दी जाएगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

11) <u>कार्ड का खोना/चोरी होना/गलत इस्तेमाल:</u>

A. कार्ड के खोने/चोरी होने/ गलत इस्तेमाल होने की स्थिति में, इसकी सूचना तुरंत बैंक की होम ब्रांच को या तो इस लिंक: https://www.federal.bank.in/block-unauthorised-transactions पर जाकर या कस्टमर केयर को 1800 420 1199 / 1800 425 1199 पर कॉल करके / creditcards@federal.bank.in को मेल करके या केवल अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दी जानी चाहिए। इसके बाद बैंक कार्ड को सस्पेंड कर देगा। कार्ड सदस्य को स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करने की सलाह दी जाती है ताकि बैंक द्वारा मांगे जाने पर कार्ड सदस्य उसकी कॉपी प्रस्तुत कर सके। कार्ड सदस्य मुख्य रूप से कार्ड की सुरक्षा, जिसमें चोरी भी शामिल है, और कार्ड का इस्तेमाल करके किए गए लेनदेन के लिए ज़िम्मेदार होगा। कार्ड के खोने/चोरी होने/क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट करने के बाद कार्ड पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए कार्ड सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि, ऐसे नुकसान/चोरी/क्षति की रिपोर्ट करने के समय और/या नुकसान/चोरी/क्षति/दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के बाद कार्ड पर किए गए लेनदेन से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, बैंक ऐसे समय और या विवादित लेनदेन की प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

   बैंक, कार्ड सदस्य के हितों की रक्षा करने और कार्ड खाते के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सुरक्षा उल्लंघन के संदिग्ध जोखिम के आधार पर क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्ड सदस्य किसी भी लेनदेन के लिए ब्लॉक किए गए कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेंगे और उन्हें 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर एक नया कार्ड प्राप्त होगा। जब तक आपको नया कार्ड प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आप किसी भी लेनदेन के लिए ब्लॉक किए गए कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

   ऐसी स्थिति में, यदि कार्ड सदस्य, बैंक द्वारा संभावित धोखाधड़ी के जोखिम के बारे में सूचित किए जाने के बाद भी कार्ड को अनब्लॉक करने का अनुरोध करता है, तो बैंक कार्ड के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग या अन्यथा के कारण उसके बाद रिपोर्ट किए गए किसी भी धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

B. कार्ड सदस्य को कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, आपको एक व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) जारी की जाएगी। बैंक, आपके अलावा किसी को भी कार्ड सदस्य का पिन या कोड प्रकट नहीं करेगा। बैंक ने कार्ड सदस्य को पिन या अन्य प्रमाणीकरण कोड जारी करते समय उद्योग के अभ्यास के अनुरूप उपयुक्त उपाय किए हैं और बैंक, कार्ड सदस्य के अलावा किसी को भी कार्डधारक का पिन या कोड प्रकट नहीं करेगा। एक कार्ड सदस्य के रूप में, आपको कार्ड का उपयोग करके किए गए लेनदेन की विशेषताओं और प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आप अपने नाम पर जारी कार्ड के किसी भी उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे।

C. बैंक कार्ड धारकों को पिन या कोड जारी करते समय सावधानी बरतेगा और बैंक कार्ड धारक के अलावा किसी अन्य को कार्ड धारक का पिन या कोड प्रकट नहीं करेगा।

यह पिन कार्ड सदस्य द्वारा डिजिटल रूप से सेट किया जा सकता है और बाद में उनके स्वयं के जोखिम पर, एटीएम पर या फेडरल बैंक मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फेडरल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पर बदला जा सकता है। पिन/एम-पिन कार्ड खाता तक पहुंच प्रदान करता है और कार्ड सदस्य पिन/एम-पिन के उपयोग, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ-साथ ऐसे पिन/एम-पिन का उपयोग करके कार्ड खाता में दर्ज किए गए सभी ऑर्डर्स और सूचना परिवर्तनों के लिए एकमात्र जिम्मेदारी स्वीकार करता है। कार्ड सदस्य पिन/एम-पिन को किसी भी ऐसे रूप में रिकॉर्ड नहीं करेगा जिससे किसी तीसरे पक्ष को इसका एक्सेस मिल सके। कार्ड सदस्य इसके द्वारा बैंक को पिन/एम-पिन द्वारा प्रमाणित लेनदेन और निर्देशों को पूरा करने के लिए अधिकृत करता है और कार्ड सदस्य इसे रद्द नहीं करेगा। बैंक के पास कार्ड सदस्य के पिन/एम-पिन के सत्यापन के अलावा कार्ड सदस्य द्वारा भेजे गए या भेजे गए प्रतीत होने वाले लेनदेन निर्देश की प्रामाणिकता को वेरिफाई करने का कोई दायित्व नहीं है। कार्ड सदस्य पिन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर समय सभी आवश्यक और उचित कदम उठाएगा, जिसमें यहां बताए गए कदम भी शामिल हैं। यदि कार्ड सदस्य सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक/कार्ड सदस्य को कोई नुकसान होता है, तो वह ऐसे किसी भी नुकसान के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और कार्ड सदस्य, बैंक को हुए/होने वाले किसी भी नुकसान/देयता के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। कार्ड और/या पिन/एम-पिन के किसी भी अनुचित/धोखाधड़ी/अनधिकृत/डुप्लिकेट/गलत उपयोग के मामले में कार्ड सदस्य, बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। कार्ड के किसी तीसरे पक्ष के हाथ में जाने या पिन/एम-पिन की जानकारी किसी तीसरे पक्ष को होने के कारण किसी तीसरे पक्ष द्वारा कार्ड के उपयोग/दुरुपयोग से जुड़े किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। यदि कोई तीसरा पक्ष कार्ड खाता सहित सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करता है, तो कार्ड सदस्य जिम्मेदार होगा और ऐसे उपयोग/पहुंच के आधार पर या उससे संबंधित तीसरे पक्षों द्वारा किए गए ऐसे दुरुपयोग/उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता, लागत या क्षति के विरुद्ध बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा।

D. कार्ड धारक का दायित्व:

a) निम्नलिखित स्थितियों में अनधिकृत लेनदेन होने पर शून्य देयता:

i) बैंक की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी

ii) थर्ड पार्टी उल्लंघन जहां कमी सिस्टम में कहीं और है, और आप अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक (इसके आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं सहित) से संचार प्राप्त करने के 3 कार्य दिवसों के भीतर बैंक (या इसके किसी भी आउटसोर्स सेवा प्रदाता) को सूचित करते हैं

b) निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाली हानि के लिए आप उत्तरदायी होंगे:

i) उन मामलों में जहां नुकसान आपकी लापरवाही के कारण होता है, जैसे कि जहां आपने भुगतान क्रेडेंशियल साझा किए हैं, वहां आप बैंक (या इसके किसी भी आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं) को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करने तक पूरा नुकसान वहन करेंगे। अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करने के बाद होने वाला कोई भी नुकसान बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

ii) उन मामलों में जहां अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जिम्मेदारी न तो बैंक की है और न ही आपकी, बल्कि सिस्टम में कहीं और है और जब बैंक (या इसके किसी आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं) से संचार प्राप्त करने के बाद बैंक को ऐसे लेनदेन के बारे में सूचित करने में आपकी ओर से 4-7 कार्य दिवसों की देरी होती है, तो आपकी प्रति लेनदेन देयता लेनदेन मूल्य या नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राशि (आरबीआई के अनुसार), जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

ग्राहक सुरक्षा पर आरबीआई के परिपत्र संदर्भ डीबीआर.सं.लेग.बीसी.78/09.07.005/2017-18 दिनांक 6 जुलाई, 2017 के अनुसार कार्ड धारक का कुल दायित्व नीचे संक्षेप में दिया गया है:

ग्राहक की देयता का सारांश	
संचार प्राप्त होने की तिथि से धोखाधड़ी वाले लेनदेन की रिपोर्ट करने में लगा समय	ग्राहक की देयता (₹)
3 कार्य दिवसों के भीतर	शून्य देयता
4 से 7 कार्य दिवसों के भीतर	यदि क्रेडिट कार्ड लिमिट <= ₹5,00,000 है, तो अधिकतम देयता <= ₹10,000 है; यदि क्रेडिट कार्ड लिमिट >= ₹5,00,000 है, तो अधिकतम देयता <= ₹ 25,000 है
7 कार्य दिवसों के बाद	बैंक की बोर्ड द्वारा अप्रूव पॉलिसी के अनुसार

iii) इसके अलावा, यदि आपके द्वारा रिपोर्ट करने में देरी 7 कार्य दिवसों से अधिक है, तो आपकी देयता बैंक की बोर्ड द्वारा अप्रूव पॉलिसी के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।

12) <u>शिकायत निवारण</u>

यदि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप नीचे दिए गए बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

स्टेप 1	कार्डधारक बैंक के कस्टमर केयर से इसके टोल फ्री नंबरों: 1800-425-1199/1800-420-1199 पर संपर्क कर सकते हैं; ई-मेल: creditcards@federal.bank.in []]. या

Federal Bank

	कार्डधारक नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित शाखा के पते पर संपर्क कर सकते हैं। या कार्डधारक ग्राहक शिकायत फॉर्म का उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो बैंक की वेबसाइट शिकायत निवारण - शिकायत फॉर्म | बैंकिंग लोकपाल योजना पर उपलब्ध है।
स्टेप 2	यदि कार्डधारक उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं है/हैं, तो कार्डधारक बैंक के नोडल अधिकारी से इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं: creditcardescalation@federal.bank.in फोन: 0484- 2866511; या नोडल अधिकारी के पते पर जो बैंक की वेबसाइट शिकायत निवारण - शिकायत फॉर्म | बैंकिंग लोकपाल योजना पर उपलब्ध है
स्टेप 3	यदि शिकायत का समाधान अभी भी कार्डधारक की संतुष्टि के अनुसार नहीं हुआ है, तो कार्डधारक इसे प्रधान नोडल अधिकारी के पास ई-मेल पर भेज सकते हैं: support@federal.bank.in; टेलीफोन: 0484-2626366 या मुख्य नोडल अधिकारी के पते पर, जो बैंक की वेबसाइट शिकायत निवारण - शिकायत फॉर्म | बैंकिंग लोकपाल योजना पर उपलब्ध है
स्टेप 4	यदि उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से बैंक में शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है या संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो बैंकिंग लोकपाल योजना 2021 के तहत, कार्डधारक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एकीकृत बैंकिंग लोकपाल से बैंक की वेबसाइट शिकायत निवारण - शिकायत फॉर्म | बैंकिंग लोकपाल योजना पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से संपर्क कर सकता है। या यहाँ उल्लिखित बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध पते पर सीआरपीसी, आरबीआई को लिखें।

अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक मुआवज़े में तालमेल बिठाना

भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2020 के महीने में सभी अधिकृत भुगतान प्रणालियों में ग्राहकों की शिकायतों के समाधान और मुआवजे के ढांचे के लिए टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) पर दिशानिर्देश पेश किए थे। बैंक और अन्य ऑपरेटर / सिस्टम प्रतिभागी ऐसे विफल लेनदेन के शीघ्र समाधान की दिशा में प्रयास करेंगे और जहां भी वित्तीय मुआवजा शामिल है, वह ग्राहक की शिकायत या दावे की प्रतीक्षा किए बिना, ग्राहक के खाते में स्वतः (बिना किसी अनुरोध के) प्रभावित किया जाएगा। बैंक ने उपरोक्त दिशानिर्देशों को अपनाया है। विफल लेनदेन की स्थिति में, जहां भी वित्तीय मुआवजा शामिल है, वह ग्राहक के खाते में स्वतः (बिना किसी अनुरोध के) प्रभावित किया जाएगा।

Federal Bank

अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए ग्राहक मुआवजा विवरण नीचे दिया गया है:

अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक मुआवजे में तालमेल बिठाना

क्र. सं.	घटना का विवरण	ऑटो-रिवर्सल और मुआवजे के लिए फ्रेमवर्क	
		ऑटो-रिवर्सल के लिए समयसीमा	देय मुआवजा
I	II	III	IV
1	माइक्रो-एटीएम सहित ऑटोमेटेड टेलर मशीनें (एटीएम)		
a	ग्राहक के खाते से राशि कट गई लेकिन कैश नहीं निकला।	अधिकतम टी + 5 दिनों के भीतर विफल लेनदेन का प्रो-एक्टिव रिवर्सल (आर)।	टी + 5 दिनों से अधिक की देरी के लिए ₹100/- प्रति दिन, खाताधारक के खाते में जमा किया जाएगा।
2	कार्ड लेनदेन		
a	कार्ड से कार्ड ट्रांसफर कार्ड खाते से राशि डेबिट हो गई है लेकिन बेनिफिशियरी कार्ड खाता में जमा नहीं हुई है।	यदि बेनिफिशियरी के खाते में राशि जमा नहीं होती है, तो लेनदेन को अधिकतम टी + 1 दिन के भीतर वापस (आर) किया जाना चाहिए।	टी + 1 दिन के बाद होने वाली देरी के लिए ₹100/- प्रति दिन।
b	पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) (कार्ड मौजूद) जिसमें पीओएस पर कैश निकालना भी शामिल है। खाते से राशि कट गई लेकिन मर्चेंट के पास पुष्टि प्राप्त नहीं हुई अर्थात चार्ज-स्लिप जेनरेट नहीं हुई।	टी + 5 दिनों के भीतर ऑटो-रिवर्सल।	टी + 5 दिनों के बाद देरी होने पर हर दिन ₹ 100/-

Federal Bank

c	कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) (ई-कॉमर्स) खाता डेबिट हो गया लेकिन मर्चेंट के सिस्टम पर पुष्टि प्राप्त नहीं हुई।		

11. **फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट):**

A. भारत के बाहर लेनदेन के लिए कार्ड का उपयोग लागू कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें आरबीआई के एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 शामिल हैं, और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, आप दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

B. क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक / इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार (ओवरसीज फॉरेक्स ट्रेडिंग) के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार यह प्रतिबंधित है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.federal.bank.in पर जाएं।

C. यह कार्ड भारत के साथ-साथ विदेश में भी उपयोग के लिए मान्य है। हालांकि, यह नेपाल और भूटान में विदेशी करंसी लेनदेन करने के लिए मान्य नहीं है।

D. एनआरआई ग्राहकों के लिए फेडरल बैंक के एनआरई/एनआरओ खातों से ऑटोपे मोड के माध्यम से बकाया राशि का 100% अनिवार्य रूप से चुकाना आवश्यक है।

E. कार्ड खाता में बकाया राशि के भुगतान के लिए एनआरआई ग्राहकों से कैश भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. **कार्ड खाते में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन:**

A. यदि ग्राहक को उपलब्ध कराए गए किसी भी विवरण/रिकॉर्ड में लेनदेन/शेष राशि के विवरण में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो ग्राहक सात (7) दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा।

B. यदि बैंक को सात (7) कार्य दिवसों के बाद इसके विपरीत कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो ग्राहकों का दायित्व बैंक की बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड पॉलिसी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

C. बैंक द्वारा इन नियमों और शर्तों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में रखे गए आपके निर्देशों और ऐसे अन्य विवरणों (जिनमें किए गए या प्राप्त भुगतान शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) के सभी रिकॉर्ड, आपके विरुद्ध ऐसे निर्देशों और ऐसे अन्य विवरणों के निर्णायक साक्ष्य माने जाएंगे।

Federal Bank

D. रिपोर्टिंग के समय और/या खाते में किए गए लेनदेन या उक्त खाते के संबंध में किसी अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, बैंक विवादित लेनदेन के समय और/या प्रामाणिकता और तीसरे पक्ष की धोखाधड़ी के कारण आपके कार्ड खाता में अनधिकृत लेनदेन के मामले में आपकी देयता या जहां आपने आरबीआई के 'ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता' पर परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी में योगदान नहीं दिया है, यह सुनिश्चित करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। समय-समय पर संशोधित नियमों में कोई भी बदलाव उस समय लागू और बाध्यकारी होगा।

13. <u>प्रकटीकरण:</u>

बैंक, कार्ड सदस्य, पुनर्भुगतान इतिहास आदि के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी क्रेडिट सूचना ब्यूरो या कानून द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य एजेंसियों के साथ साझा करेगा। बैंक/ग्रुप कंपनियों के पास आवेदन फॉर्म और उसके साथ दिए गए दस्तावेजों, जिनमें फोटोग्राफ भी शामिल हैं, को अपने पास रखने का अधिकार सुरक्षित है और वे इन्हें वापस नहीं करेंगे।

क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट, 2005 (अधिनियम 2005) के अनुसार, बैंक कार्ड के ओवरड्यू होने की स्थिति में, कार्ड धारक को उचित सूचना देते हुए, कार्ड सदस्य/ऐड-ऑन कार्ड सदस्य(ओं) से संबंधित कोई भी जानकारी, जिसमें कार्ड खाता में देय राशि के पुनर्भुगतान में कार्ड धारक द्वारा की गई किसी भी चूक से संबंधित जानकारी शामिल है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (जैसा कि अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित है) या किसी अन्य क्रेडिट ब्यूरो (वर्तमान और भविष्य) के साथ साझा करेगा, जैसा कि बैंक उचित और आवश्यक समझे। हालांकि, किसी भी चूक (डिफ़ॉल्ट) की रिपोर्ट करने से पहले, बैंक चूक (डिफ़ॉल्ट) की रिपोर्ट करने के अपने इरादे के बारे में कार्ड सदस्य को सात दिन पहले सूचित करेगा। यदि कार्ड सदस्य डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद बकाया राशि का निपटान करता है, तो बैंक निपटान की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्थिति को अपडेट कर देगा। चूक (डिफ़ॉल्ट) से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण/रिलीज विवाद सुलझने के बाद ही किया जाएगा। बैंक इसके द्वारा कार्डधारक को सूचित करता है कि ओवरड्यू कार्ड खातों के भुगतान की प्राप्ति पर कार्डधारक के डेटा पर नया/अपडेट सिबिल / अन्य क्रेडिट ब्यूरो में निपटान की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर दिखाई देगा।

बैंक के पास कार्ड धारक की अनुमति के साथ या उसके बिना, निम्नलिखित चरणों में कार्ड धारक की निम्नलिखित जानकारी साझा करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्र.सं.	**चरण**	**प्रकट की जाने वाली जानकारी**
1.	मार्केटिंग के दौरान	फीस और शुल्क

Federal Bank

2.	आवेदन के समय	मुख्य तथ्य विवरण जिसमें फीस और शुल्क, निकासी की सीमाएं, बिलिंग और ग्राहक द्वारा वांछित किसी भी अतिरिक्त जानकारी से संबंधित जानकारी शामिल है।
3.	वेलकम किट	फीस और शुल्क, निकासी की सीमाएं, बिलिंग, डिफ़ॉल्ट और परिस्थितियाँ, कार्ड सदस्यता की खत्म करना/रद्द करना, कार्ड का खोना/चोरी होना/गलत इस्तेमाल, शिकायत निवारण और मुआवज़े का तरीका, जानकारी का खुलासा।
4.	बिलिंग पर	फीस और शुल्क, निकासी की सीमाएं, बिलिंग
5.	निरंतर आधार पर,	नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव

बैंक अपने विवेक से, कार्ड धारक और बैंक के प्रतिनिधि के बीच हुई विशिष्ट बातचीत को ग्राहक शिकायतों, रिकवरी / लेनदेन पर विवाद आदि से संबंधित मामलों में रिकॉर्ड भी कर सकता है।

a) **<u>क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:</u>**

क्षेत्रीय भाषाओं में एमआईटीसी की जानकारी के लिए कृपया www.federal.bank.in पर जाएं, उपलब्ध विकल्प 1) हिंदी 2) मलयालम 3) अंग्रेजी

कार्ड सदस्य इसके द्वारा स्वीकार करता है कि www.federal.bank.in पर क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें, सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों के अंग्रेजी वर्शन का ही अनुवादित रूप हैं। कार्ड सदस्य सहमत है और स्वीकार करता है कि सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों के अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के पाठों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी वाला वर्शन वाला वर्शन मान्य होगा और कार्ड सदस्य पर बाध्यकारी होगा।

अस्वीकरण: *बैंक अपने प्रोडक्ट्स के संबंध में, अपने विवेकाधिकार पर, बाहरी सेवा प्रदाता/प्रदाताओं या एजेंट/एजेंटों की सेवाओं का उपयोग ऐसी शर्तों पर कर सकता है जो आवश्यक या जरूरी हों। कृपया ध्यान दें कि शुल्कों और फीसों पर नवीनतम अपडेट बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।*

31-03-2026 के अनुसार एमआईटीसी वर्शन